समन्वय की जरूरत : उत्तर भारत और नवंबर में वार्षिक वायु गुणवत्ता

द हिंदू

पेपर-III (पर्यावरण)

दिल्ली और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्से हर साल हवा की गुणवत्ता में बड़ी गिरावट का सामना करते हैं। यह वो समय होता है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून विदा हो चुका होता है और इसी के साथ, ऊपरी वायुमंडल में वो तेज हवाएं भी मद्धिम पड़ चुकी होती हैं जो निर्माण कार्य, ड्राइविंग, बिजली उत्पादन, पुआल जलाने जैसी तरह-तरह की इंसानी गतिविधियों से उपजे प्रदूषकों को अमूमन अपने साथ बहा ले जाती हैं। बीते वर्षों के दौरान, इस संकट को समझने, उसे स्वीकारने और उससे निपटने के लिए कई अध्ययन कराये गये हैं और कार्यपालिका के स्तर पर कार्रवाई शुरू की गयी है। प्रदूषकों के तुलनात्मक योगदान और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के बरक्स सुधारात्मक हस्तक्षेप की सीमाओं तथा इसके चलते आर्थिक जीवन में होने वाले व्यवधान को लेकर विज्ञान काफी स्पष्ट है। इसका नतीजा यह है कि वायु प्रदूषण संकट अब बेबसी में बदल चुका है। दिल्ली और उससे लगे राज्यों में वायु प्रदूषण के कारणों से निपटने की जिम्मेदारी जिस वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दी गयी है, वह अभी विशेषज्ञता से भरा एक निकाय है, लेकिन उसकी शक्तियां वायु गुणवत्ता में गिरावट के आधार पर किए जाने वाले उपायों की श्रेणी (ग्रेड) की सिफारिश करने तक ही सीमित हैं।

इसी 31 अक्टूबर को सीएक्यूएम ने बताया कि इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दिल्ली में दैनिक औसत वायु गुणवत्ता बीते छह सालों में सबसे अच्छी थी, लेकिन वह इस तथ्य को गोल कर जाता है कि नवंबर के महीने में 'गंभीर' (450 एक्यूआई से ज्यादा) वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या लगभग जस की तस बनी हुई है। वर्ष 2022 में नवंबर के पहले पखवाड़े में एक्यूआई तीन दिन गंभीर श्रेणी में था। यही संख्या 2021, 2020 और 2019 में भी थी। प्रदूषण के स्रोतों पर अंकुश के लिए बेहतर जागरूकता और कार्रवाई के बावजूद, नवंबर (जो हाल के वर्षों में प्रदूषण के लिहाज से सबसे मुश्किल महीना बनकर उभरा है) को काबू में ला पाना बाकी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुआल जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले मोटे तौर आधी हैं, हालांकि आगामी हफ्तों में ऐसी गतिविधि बढ़ने के आसार हैं। पहले जो भी उपाय देखे गये हैं वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संस्थागत प्रतिक्रिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि नवंबर की इन चुनौतियों से पार पाने के लिए समन्वित तरीका अपनाया जाए। पुआल जलाने से परे, इसका मतलब है वाहनों से होने वाले प्रदूषण और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल की ज्यादा कठिन चुनौतियों से निपटना। शहरी दिल्ली ने प्रदूषण संकट के लिए हमेशा दूर स्थित खेतों की आग को दोष दिया हो सकता है, लेकिन दिक्कत भरे नवंबर से निपटने का मतलब कड़े उपाय और अपेक्षाकृत ज्यादा असुविधा हो सकते हैं। इस चुनौती से पार पाने के लिए, सीएक्यूएम जैसे निकायों को अपनी स्वतंत्र साख की दावेदारी करनी होगी और दिल्ली व आसपास के राज्यों के भीतर बेहतर समन्वय व अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):

- आयोग का गठन पहली बार अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश द्वारा किया गया था।
- आयोग के लिए रास्ता बनाने के लिए पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण या ईपीसीए को भंग कर दिया गया था।
- आयोग एक वैधानिक प्राधिकारी होगा।
- आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों को हटा देगा।
- 2021 में, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी।

संघटन:

- अध्यक्ष: इसकी अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर का कोई सरकारी अधिकारी करेगा।
- अध्यक्ष तीन वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेगा।
- इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ-साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।
- इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ होंगे।

शक्तियाँ और कार्य:

- इसके पास वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर इन राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी।
- यह एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक समझी जाने वाली शिकायतों पर विचार करेगा।
- यह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पैरामीटर भी तय करेगा।
- यह उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने, कारखानों और उद्योगों और क्षेत्र में किसी भी अन्य प्रदूषणकारी इकाई की निगरानी करने का भी प्रभारी होगा, और ऐसी इकाइयों को बंद करने की शक्तियां भी होंगी।
- इसके पास क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को खारिज करने की भी शक्तियां होंगी, जो प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन हो सकते हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए बनाए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है?

(a) दिल्ली का मुख्यमंत्री

(b) दिल्ली का उपराज्यपाल

(c) केंद्रीय गृहमंत्री

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Que. Who chairs the Air Quality Management Commission set up for the National Capital Region and Adjoining Areas?

(a) Chief Minister of Delhi

(b) Lieutenant Governor of Delhi

(c) Union Home Minister

(d) None of the above

उत्तर : d

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "दिल्ली में शीत ऋतु आते ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, किंतु इसके रोकथाम को लेकर बनाया गया संगठनात्मक ढांचा दंतहीन है।" टिप्पणी करें।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में दिल्ली में शीत ऋतु आते ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के विभिन्न कारकों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए संगठनात्मक ढांचे की संरचना और उसकी शक्तियों का विश्लेषण कीजिए।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।